

**FORM NO.111**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुसधर कँवर बनाम बिरज कँवर वगै०

किस्म मुकदमा:-दावा अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:-185/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
08-12-2025	<p>वादीया की ओर से श्री वेणुप्रसाद कुड़ी, एड० ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादीया के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 12.12.2025 को पेश हो।</p> <p>( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	
12-12-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया मय पक्षकार ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत विद्वा किये जाने वादपत्र का पेश कर प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर वादपत्र को विद्वा किये जाने का निवेदन किया है। जिस पर उपस्थित वादिया व वकील वादिया को सुना गया। वकील वादिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र विद्वा बाद सुनवाई स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को विद्वा किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

